हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदहमिसिलत	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	मनोहर vs प्रभु वगैरा दावा	
21	covid-19 ~~वकीलों के कार्यविराम~~ के कारण पूर्वानुसार वास्ते पेशी दिनांक 24.7.21 को पेश हो।	
24/7/21	वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है, प्रकरण में बंटवारा स्कीम पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। वादी एवं वकील वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम राजस्व वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर तकमील कार्यवाही बाद तामील मिसल दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with DocScan

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
66/14	दावा	17.09.14	26.07.2021

मनोहर पुत्र गंगाविशन जाति बैरवा निवासी डांडा तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

01. प्रभू पुत्र नारायण
02. रामजीलाल पुत्र मौसरिया (फोत)
    - 2/1 शारदा
    - 2/2 राधा
    - 2/3 सपना — पुत्रीयान रामजीलाल
    - 2/4 पूजा
    - 2/5 सुमन
    - 2/6 धनबाई बेवा रामजीलाल
    - 2/7 कुलदीप — पुत्रान रामजीलाल
    - 2/8 प्रदीप
03. बद्री पुत्र मौसरिया (फोत)
    - 3/1 रूकमणी पत्नि बद्री
    - 3/2 विवेक — पुत्रान बद्री
    - 3/3 विकास
    - 3/4 मनोज — पुत्रीयान बद्री
    - 3/5 ज्योति
04. प्रभू — पुत्रान मौसरिया
05. रत्ती
06. राजकुमारी — पुत्रीयान मौसरिया
07. प्रेम

सभी जातिगण बैरवा निवासीयान लोकेश नगर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

08. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री राजेन्द्र सोनी अधिवक्ता वादी।
श्री कुंजबिहारी शर्मा अधिवक्ता वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम लोकेश नगर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांकःएलआर/2016/2088 दिनांक 22.07.2016 द्वारा ग्राम लोकेश नगर की विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, इस दौरान प्रतिवादी सं0 2 व 3 के फौत की सूचना अधिवक्तागण द्वारा दिये जाने पर प्रतिवादी सं0 2 व 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये गये। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। प्रतिवादीगण बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नहीं आये इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अतः दावा वादी मुताबिक

Scanned with DocScan

बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ग्राम लोकेश नगर तहसील सपोटरा का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादी मनोहर पुत्र गंगाविशन जाति बैरवा निवासी डांडा के हिस्से में ख0नं0 7 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 146 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बिस्वा रहेगा।
2. प्रतिवादी सं0 1 प्रभू पुत्र नारायण हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं0 2 रामजीलाल के वारिसान 2/1 लगायत 2/8, प्रतिवादी सं0 3 बद्री पुत्र मौसरिया के वारिसान 3/1 लगायत 3/5, प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 प्रभू, रत्ती पि0 मौसरिया राजकुमारी, प्रेम पुत्रीयान मौसरिया जाति बैरवा निवासी लोकेश नगर हिस्सा 1/2 के हिस्से मे खसरा नं0 1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 7/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 146/1 रकबा 10 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 11 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan